

1889291/2024/TG-II

SANJAY SINGH

Member of Parliament,

(Rajya Sabha)

Member,

- Standing Committee on Coal & Steel
- Consultative Committee for the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

Ref. No. ADM/L/2024/19211

सत्यमेव जयते

संजय सिंह

सांसद,

(राज्य सभा)

सदस्य,

- कोयला और इस्पात संबंधी समिति
- परामर्शदात्री समिति
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

Date : 09/08/2024

सेवा मे,

श्री अश्विनी वैष्णव जी,
माननीय रेल मंत्री
भारत सरकार

महोदय,

संलग्न प्रार्थना पत्र नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे पोर्टर्स के सदस्य श्री राम सुरेश से प्राप्त हुआ है। जो कि देश के 19,762 रेलवे कुलियों की दयनीय स्थिति से सम्बंधित है। कोरोना महामारी के दौरान रेलगाड़ियों के बंद होने के कारण देश के सभी रेलवे कुली पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। पर्याप्त काम न मिलने के कारण कुलियों को अपने भविष्य निधि का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। (पत्र संलग्न)

अतः उपरोक्त पत्र का अवलोकन कर नियमानुसार मदद कराने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

M/03D

EDrG/MR



आपका

(संजय सिंह)

Office : 129, North Avenue, New Delhi-110001

E-mail : mp.sanjaysingh@sansad.nic.in

Ph.: 011-23092293, 23094739 (M): +91-8588841358, 9721444433

9554062028

Mob. : 9639446288

NATIONAL FEDERATION OF RAILWAY PORTERS (Regd.)

(Registered under Trade Union Act 1926 at Delhi, Registration No. 1118 of year 1966)

नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे पोर्टर्स, वेण्डर एण्ड बेयरस (रजि.)

(द्रेड यूनियन कानून 1926 के अनतर्गत दिल्ली में रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन नम्बर 1116 वर्ष 1966)

Central Office : 7, Jantar Mantar Road, New Delhi - 110 001, Phone : 3323967

केन्द्रीय कार्यालय : जन्तर मन्त्र रोड, नई दिल्ली - 110 001 फोन : 3323967

424

Ref. No. :

Date : 06/08/2024

प्रतिष्ठा में,

मा० श्री संजय सिंह जी,

राज्य सभा सदस्य

नई दिल्ली।

विषय:- भारत वर्ष के रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले 19762 रेलवे कुलियों के दयनीय स्थिति में
 सुधार हेतु देश की संसद में सवाल उठाकर रेलवे विभाग के अन्तर्गत किसी भी विभाग में
 हम कुलियों का समायोजन या कुली में ही स्थायी कर्मचारी बनाये जाने के सम्बन्ध में।
 महोदय,

विनम्र निवेदन के साथ मैं आपका ध्यान देश के रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत यात्री सहायकों (कुली) की आर्थिक स्थिति की तरफ कराना चाहता हूँ जिनकी स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है कोरोना काल के दौरान रेलगाड़ियों को बन्द किया गया जिसके चलते देश के रेलवे यात्री सहायक (कुली) पूरी तरह से बेरोजगार हो गया। पर्याप्त काम न होने की स्थिति में हम कुलीगण अपने जीवन यापन के लिए भविष्य निधि का इन्तजाम नहीं कर पाते हैं जिससे भविष्य में होने वाली विषम परिस्थितियों में भविष्य निधि से अपना परिवार चला सके। जिसके चलते रेलवे कुली पारिवारिक भरण पोषण हेतु कर्जों में झूब गया जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पायी। कोरोना काल में हम देश के कुलियों ने रेलवे विभाग के अधिकारियों में रेलवे स्टेशन अधीक्षक से लेकर रेलवे बोर्ड एवं प्रदेश सरकार से लेकर केन्द्र सरकार के मंत्रियों, रेलमंत्री एवं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को पत्र के माध्यम से एवं प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से कोरोना काल में ट्रेनों के बन्द होने की वजह से बेरोजगार हुए कुलियों को रेलवे कर्मचारियों की भाँति बिना काम किये आर्थिक मदद के लिये गुहार लगायी। (क्योंकि कुली भी रेलवे कर्मचारी की भाँति रेलवे भर्ती प्रक्रिया की तरह रेलवे में शारीरिक एवं स्थायी एवं चरित्र परीक्षण के बाद ही रेलवे में भर्ती होता है) लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिला नतीजा यह हुआ कि देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारे कुली जो किराये के कमरे में रहते थे उनका कमरा मकान मालिक यह कहते हुए खाली करा लिया कि आप किराया नहीं दे पा रहे हैं मेरा मकान खाली कर दो और जबरन खाली करा दिया गया। किराना दुकानदार ने राशन और अन्य सामान देना बन्द माँ बाप की दवाई बन्द हो गयी घर में कोहराम मच गया। रेलवे का कुली साहूकार से कर्ज लेकर काम चलाना शुरू किया बाद में साहूकार ने पुराना बकाया दीजिए फिर नया लीजिए यह कहकर कर्ज भी देना बन्द कर दिया साहूकार का कर्ज बढ़ता गया और देश का कुली कर्ज में झूबता गया और

शेष पेज...2 पर

-2-

रोड पर आ गया देश के कुलियों ने मिल कर मानवीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने पालिसी की बात की कुलियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी पालिसी न होने की वजह से मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुलियों द्वारा दायर याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि आप सरकार से बात करे आपके पास अगर कोई पालिसी है जिस पालिसी के तहत सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है तो इसमें मानवीय सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है अन्यथा जो कुछ भी करना है वह सरकार करेगी। इसलिये मानवीय महोदय जी आपसे विनम्र अनुरोध है कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं और सारी दुनिया का बोझ उठाने वाले लोग आज अपना ही बोझ उठाने में असमर्थ हैं और कर्ज में डूबे हुए लोग हैं ट्रेने तो चली लेकिन आधुनिक सुविधाओं के चलते रेलवे स्टेशनों एवं लगेज कम्पनियों ने यात्रियों की सुविधा अनुसार काम किया जिससे स्टेशनों पर एकसीलेटर (स्वचालित सीढ़ी), लिफ्ट, ई-वेन, डिसप्ले, लगेज में पहिया इन तमाम सुविधाओं के चलते स्टेशनों पर कुली का काम खत्म हो गया है शेष बचा हुआ जो काम था वी0ओ0सी0 (बैटरी चालित कार) द्वारा खत्म हो गया है क्योंकि वी0ओ0सी0 (बैटरी चालित कार) का टेकेदार पैसे बाला व्यक्ति होता है जो अपने प्रभाव से रेलवे प्रशासन के अधिकारियों को प्रभावित कर गाड़ियों पर यात्रियों के साथ-साथ उनके सामान की भी दुलाई का कार्य करा रहा है। कुली अपने रोजगार के प्रति अगर प्रशासन को शिकायत करता है तो प्रशासनिक तौर से भी उसकी बात अनुसुना कर दी जाती है और उल्टा कुली को ही गलत सिद्ध करके झूठे मुकद्दमे में फंसाने एवं बिल्ला निरस्त करने की नक्शीहत दी जाती है।

यह कि कुली संगठन भारत सरकार एवं रेल प्रशासन द्वारा यात्री ठित में उठवये गये हर कदम का समर्थन करता है लेकिन भारत सरकार एवं रेल प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस कार्य के लिए हम कुलियों को रखा गया है कम से कम हम कुलियों के इस काम को ऐसी कोई योजना बनाकर न छीना जाये जिससे हम कुलीगण बेरोजगार हो जाये। हम देश के कुलियों से रेल दुर्घटना से लेकर वी0आई0पी0 मोमेन्ट में रेलवे कर्मचारी की भाँति हमसे निःशुल्क सेवा रेलवे अधिकारियों द्वारा लिया जाता है

आपके अवलोकनार्थ हेतु छाया प्रति संलग्न सं0-1 है।

हमने देश के यात्रियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों की सेवा की है हमें भी सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान किया जाये और वह तक सम्भव होगा जब पूर्व में हुए वर्ष 2008 की भाँति जिस तरह पालिसी लाकर हमारे देश के कुलियों के उत्थान हेतु कुली से गैंगमैन में समायोजन किया गया था उसी प्रकार की पालिसी लाकर रेलवे विभाग के किसी भी पद पर कुलियों का समायोजन किए से एक बार किया जाये क्योंकि मौजूदा समय में आधुनिक सुविधाओं के चलते देश के 90 प्रतिशत रेलवे स्टेशनों पर कुली का काम बिल्कुल नहीं है एवं 10 प्रतिशत स्टेशनों पर जो देश के बड़े रेलवे स्टेशन हैं वहाँ काम है भी तो आये दिन वी0ओ0सी0 (बैटरी चालित कार) के मालिक एवं ड्राइवरों से झाड़प के कारण काम खत्म हो रहा है।

आपके अवलोकनार्थ हेतु छाया प्रति संलग्न सं0-2 है।

यह कि देश के रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली आये दिन ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं जिससे या तो कुली की मृत्यु हो जाती है या तो हमेशा-हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते हैं ऐसी स्थिति में परिवार एवं यात्री सहायक को “सामाजिक सुरक्षा योजना” के तहत विभागीय बीमा पालिसी

शेष पेज...3 पर

-3-

से जोड़ा जाना बहुत जरूरी है जिससे यात्री सहायक के साथ होने वाली आकस्मिक घटना में उन्हें या उनके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके एवं कुली की मृत्यु होने पर मृतक कुलियों के वारिसान को रेलवे के तरफ से अन्तिम संस्कार के लिए “अंतेष्टि सहायता योजना” के तहत तत्काल रूपये 50000/- सहायता राशि के तौर पर दिया जाये। उदाहण हेतु हादसे में कुलियों की दुर्घटना की फोटो प्रति आपके अवलोकनार्थ हेतु छाया प्रति संलग्न सं0-3 है।

यह कि कुलियों को “असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008” के तहत अधिनियमित दिनांक 03/08/2018 प्रधानमंत्री श्रमयोग मान-धन योजना के तहत जोड़ा जाये इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन देने का प्राविधान है जिनकी महीने भर की कमाई रु0 15000/- या इससे कम है। अगर देश के कुलियों को इस पालिसी से जोड़ा जाता है तो देश का कमजोर एवं बेरोजगार कुलियों को जीवन गुजारा करने में मदद होगी।

यह कि कुलियों के बच्चों के लिए आदेशित मुफ्त शिक्षा महिला द्वारा संचालित रेलवे स्कूल के बजाय रेलवे कर्मचारियों की भाँति सबको शिक्षा एक समान पालिसी के तहत जोड़ा जाये और रेलवे कर्मचारियों की भाँति रेलवे के कुलियों के बच्चों को भी रेलवे के कर्मचारियों के बच्चों की भाँति शिक्षा भल्ता दिया जाये एवं परिवारिक वातानुकूलित रेलवे पास दिया जाये।

प्रमुख मांगे

1. यह कि जिस प्रकार 2008 में रेलवे कुलियों का नियमितीकरण किया गया था उसी प्रकार पुनः कुलियों के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाय।
2. यह कि दिनांक 12/02/2020 को पूर्व रेल मंत्री मारो पीयूष गोयल जी द्वारा राज्य सभा में बयान के माध्यम से जानकारी हुई है कि रिक्त पट्टी रेलवे के 1,34,785 पदों में से देश के 19762 रेलवे के कुलियों को समायोजित किया जाय।
3. यह कि यदि कुलियों का नियमितीकरण के लिए रेलवे में रिक्त पद नहीं है तो उन्हें कुली के रूप में ही नियमित कर दिया जाय।
4. भारत सरकार रेलवे कुलियों को रेलवे स्टाफ के समान दुर्घटनात्मक बीमा पालिसी प्रदान करे।
5. रेलवे स्टाफ के समान रेलवे कुली एवं उसके परिवार को वातानुकूलित पास एवं चिकित्सा सुविधा उम्मीद कार्ड उपलब्ध करायी जाय।
6. रेलवे के कुलियों के कल्याण के लिए पूर्व में बनायी गई विभिन्न पालिसी जिसका पालन रेल प्रशासन समय पर नहीं करता है पालिसी केवल कागजी कार्यवाही/दिशावाद बनकर रह जाती है। सरकार द्वारा बनायी गई कुछ पालिसी की छायाप्रति आपके आवलोकनार्थ संलग्न सं0-4 है।

अतः माननीय महोदय जी आपसे अनुरोध है कि हम देश के 19762 रेलवे के कुलियों की दयनीय स्थिति एवं उपरोक्त मांगों को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से सन् 2008 में हम कुलियों को रेलवे कर्मचारी बनाया गया था देश के संसद में हमारी मांग को उठाकर कुलियों का कल्याण कराने हेतु पहल करे, जिससे कुली रेलवे विभाग में समायोजित होकर समाज में सम्मान पूर्वक जीवन सपरिवार जी सके इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद!

भवदीय,

राम सुरेश

-10-

MOST IMMEDIATE

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. 2021/TG-II/1010/15/NR

New Delhi, Dt. 10.8.2021.

The Principal Chief Commercial Manager,
All Zonal Railways

Sub: Grievances of Sahayaks (licensed porters) - regarding

Vide Board's letter No. 2012/TG-IV/11/46 dated 05-12-2018, powers have been delegated to Zonal Railways for operation of Battery Operated Vehicles (BOVs) free of cost through CSR and commercial publicity route and through chargeable route. This facility is to be provided for Divyangjans, sick and old age passengers. Board's office has issued no instructions with regard to carriage of baggage in the BOVs. However, complaints have been received from Sahayaks (licensed porters) that their livelihood is being affected due to carriage of baggage in the BOVs.

Zone may examine the issue with respect of allowing carriage of luggage in BOVs and submit its report/comments so that Board may take a decision in this regard.

Another issue represented by the Sahayaks is with respect to delay in the process of transfer of badge of old age Sahayaks. A detailed report in this connection regarding the total applications of badge transfer received and pending with reasons for 2018-19, 2019-20 and 2021-22 may be sent to Board for appraisal.

Both the the report may please be furnished on e-mail ID svtg098@gmail.com and by fax on 030-43373 (Railway), 011-23072028 (P&T).


(Sumeet Singh)
Director Traffic Commercial (General)
Railway Board

Copy to :-

Shri Mangat Ram Saini
National President,
Akhil Bhartiya Railway Mazdoor Sangathan,
Char Marg, Pathankot-145001.

Director/Establishment (N) - For n.a. with regard to demand raised in the enclosed representation regarding absorption of Sahayaks as Group D employees in Railways.



कार्यालय बरिंद्र मंडल वाणिज्य प्रबंधक,
(वाणिज्य शाखा), नवाब यूसुफ गेहूँ,
शिविल लाइंस, उत्तर मध्य रेलवे,
प्रयागराज-211001
दिनांक: 06.06.2024

पत्र सं. CM-I-Battery Operated Car (BOC)-PRYJ & CNB-14-23-01

1. स्टेशन अधीक्षक,

2. वाणिज्य निरीक्षक,

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज जि. रेलवे स्टेशन।

विषय: प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर बैटरी संचालित कार से यात्रियों के सामान छोड़ने के मंदिर में।

संदर्भ: स्टेशन निवेशक का पत्र संख्या स्टेशन निवेशक/प्रयागराज/लाइसेन्स पोर्टर/2024 दिनांक 08.05.2024

विषयांकित प्रकारण में संदर्भित पत्र के माध्यम से लाइसेन्स पोर्टर द्वारा उत्पन्न समस्या के अनुप्राप्ति में हस्ताक्षरित अनुबंध में वर्णित प्रावधानों जो कि निम्नलिखित है:- "The service provider should not carry passenger more than the sitting capacity of the BOC and only hand luggage is permitted in the BOC" "The licensee shall be solely responsible for any loss/theft/damage of passenger/customers property kept in his possession and under no circumstances Railway administration will be responsible for loss/damages to property/assets of passengers which are under the custody" उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट कराना है कि यात्री अपने साथ यात्रा के दौरान लिए हुए सामान जिनकी संख्या 1 से अधिक भी हो सकता इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यदि उसके पास एक से अधिक बैग यात्रा के दौरान लिए हैं तो वह BOC में अपने साथ नहीं ले जा सकता, ऐसा नहीं है यात्री यात्रा के दौरान जितना भी सामान/लगेज लेकर यात्रा कर रहा है वह समस्त सामान/लगेज अपने साथ BOC पर ले जायेगा, (जिसे कि यदि किसी यात्री के पास यात्रा के दौरान 02 हैड लगेज बैग और 4 बैटरी हैं तो वह सभी सामान यात्री के luggage के अंतर्गत ही आएगा) जिसे वह अपने साथ रख सकता है। यदि यात्री BOC को बुक करता है तो उसके लगेज के खोने/चोरी जिम्मेदारी BOC धारक की जिम्मेदारी है ऐसी स्थिति में उक्त सामान को सुरक्षित यथा स्थान यात्री के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर BOC धारक सामान ले जाएगा/पहुंचाएगा। उपरोक्त निर्देश के उपरांत यदि सहायक पोर्टर (कुली) द्वारा रेल प्रसाशन द्वारा यात्री सुविधा हेतु उपलब्ध कराये गए संशोधनों/मद्दों पर समस्या उत्पन्न किया जाता है तो उनके विरुद्ध यथासंगत विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

२) BOC यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रसाशन द्वारा उपलब्ध कराया गया है न की स्टेशन परिसर में अन्य सामान/परेषण, छोड़ने/लादने/उतारने के लिए BOC का उपयोग अन्य सामान/परेषण छोड़ने/लादने/उतारने के लिए किया जा सकता है। (BOC is provided by the Railway administration for the convenience of passengers and not for carrying/loading/unloading other goods/consignments in the station premises. BOC cannot be used to carry/load/unload other goods/consignments.)

सहायक प्रबंधक/कौचिंग,
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

प्रतिलिपि :

1. Station Director, NCR/PRYJ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया वस्तु स्थिति ने कुली संगठन को स्टेशन स्तर से अवगत कराने हेतु अधीनस्थ को निर्देशित करें।
2. Balaji Bhagawat Project Pvt. Ltd., 664, Balaji Das Nagar, Antu Road, Kherauna Amethi CSJM Nagar, Amethi, Sultanpur-227405 को सूचनार्थ प्रेषित।

३० -८

कार्यालय स्टेशन प्रबन्धक / प्रयागराज, उ०म० रेलवे

उत्तर-स्टेशन / प्रया०, चुनी-०१ / २०२४

दिनांक—१५.०६.२०२४

दिक्ष्य: श्री मनोज कुमार निधान एवं श्री मुन्ना राजा यूली प्रयागराज ज० के प्राप्त आदान प्रदान पर अधिकारी विवशा चालक से ती गयी अप्रभावी हो कारण विल्ला निरस्ता किये जाने के बाबत ।

दिक्ष्य: श्री मनोज कुमार निधान एवं श्री मुन्ना राजा यूली प्रयागराज ज० के प्राप्त आदान प्रदान पर अधिकारी विवशा चालक से ती गयी अप्रभावी हो कारण विल्ला निरस्ता किये जाने के बाबत ।

सन्दर्भ: मनोज—सं० वाणिज्य निरी०/भ०/प्रयागराज/विधि/२०२४ दिनांक १५.०६.२०२४
उपरोक्त पर सम्बन्ध में अवगत हत्या के लिए श्री गणेश कुमार निधान एवं श्री मुन्ना राजा यूली प्रयागराज ज० के द्वारा दृष्टि विवशा चालक एवं वाणिज्य से कई प्रकार अप्रभावी हो गयी ।
कूली प्रयागराज ज० के द्वारा दृष्टि विवशा चालक एवं वाणिज्य से कई प्रकार अप्रभावी हो गयी ।
जिसकी विविध विवशा निरस्ता करने के लिए आपेक्षित गतिशीलता नहीं प्राप्त होती ।
कूली प्रयागराज ज० के द्वारा दृष्टि विवशा निरस्ता करने के लिए आपेक्षित गतिशीलता नहीं प्राप्त होती ।
दोनों कुलियों का विल्ला सं० 107 एवं 206 अग्ने आपेक्षित राम निरस्ता किया जाता है ।

मुख्य कार्यालय अधीक्षक
उमरे/प्रयागराज
(प०६)

प्रतिलिपि:

- स्टेशन निवेशक/प्रयागराज ज० गडोदय को सूचनार्थी ।
- मुख्य वाणिज्य निरीक्षक प्रयागराज ज० को आवश्यक कार्यपाठी देता ।

①



210-4



विरोध प्रदर्शन

अनश्वन से लेकर अधिकारियों तक गुहार, सुनवाई नहीं
कुली की कमाई खा गए
ट्रॉली बैग और बैटरी कार

■ एन्युरेटी, लक्षणक्रम असाधारण, प्रदर्शन करने वाले तब लक्षण रोलेव या वायरालिसिप (कुल्हा) के बीच सुनहरा रुक्का हो जाता है। एस्ट्रोटर, ट्रिलर और डाइवर्स ने उनका विचार किया जाता रहा है। ये वायराली-बहुत कठिन हैं और वैटरी द्वारा लालकों ने पूछ कर दिये। यात्रामा रोलेव स्ट्रेचर पर बैठकर कुर्की लगाकर रुक्का लगाया जाता है।

卷之三

■ 2023 में रेट हुए रिवाइज्ड, प्रिज
भी एटी लाइन के मुकाबले
गिल रहे आधे दम




6 कुलियों के रेट में अतर ली जानकारी नहीं है।

वैटरी कार से सामन नहीं ढोता है, इसके निरें हैं। कुशियों की समस्या के सामाजिक तेलर अधिकारियों ने निरें देकर दुखव थलाई जारी। काम की कमी से जु़रू रहे कुशियों के अधिकारियों ने आपको भी दिया गया है। -साधि भोजन शर्मा
डीआरएम, उत्तर रेलवे लाखनऊ

जहां हाँ। दृष्टि पर दो महान् विषय की पद्धति
से 2 कुरतलव्यञ्जन ले जाने पर एनडीआर दे-
वी 150 रुपये मिल रहे हैं। जबकि चारवाहा
में 75 रुपये मिल रहे हैं। 20 मिनट से अधिक
काम स्करने पर यह प्रभाव होना है।
जाता है। एनडीआर पर लोन चेत्र वार-
ना 20 तो चारवाहा में 90 रुपये है।

210

①



टी.ए.टी.सी. - १

प्रिया ३०.०२.२०२४
ज्ञान सामाजिक

तारीख: विभिन्न मासों के लिए निम्नलिखित आवेदन संख्याएँ दिए गयी हैं।

१. रहीस शाहरता	११३
२. जामा छांट पाल	१०४
३. अमा शान्ति पाल	११७
४. मनोज	१८१
५. राजा देवि	१११
६. एरेश गाल्ली	१२३
७. सुरदीप	१६२
८. विजय	१२८
९. विक्रम	१८६
१०. विजय	१५०
११. इतिहा	१२२
१२. अमिताल्ल	१७६
१३. देवी	१२४
१४. दीपा	१५५
१५. दीपा	१९२
१६. नाताशा	१३८
१७. नम्रता	३६९
१८. विजय	१२८
१९. विजय	११

(१९) इच्छाप्राप्त किए।

ग्रन्थालय और अधिकारी द्वारा दिए गये अधिकारीकृत विवरण।

ग्रन्थालय विवरण

ग्रन्थालय विवरण
प्रबन्धना कार्यालय
By. S.M. Commr., JHS.

मार्च २०२४
१८/८०

मार्च २०२४
१८/८०

200 (2)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 178/2009

No. E(NG)II/2008/RR-3/1.

New Delhi, dated 25.09.2009.

The General Manager
All Indian Railways
(as per standard mailing list)

Sub: Appointment of Licensed Porters to the post of Gangman.

Consequent upon the announcement made by the then Hon'ble Minister of Railways in his Budget Speech 2008-09, the Railway Board had issued orders for absorption of eligible Licensed Porters as Gangman, as a one-time measure, in terms of letter No. E(NG)II/ 2008 /RR-3/1 dated 01.04.2008 (RBE No. 50/2008) and further instructions on the subject.

Subsequently, representations have been received from various quarters, forwarding the requests of some Licensed Porters, who have been appointed as Gangman, or have been screened but have not yet joined the post, for return of their badges/licenses, as they are reluctant to work as Gangman. The matter has been considered by the Ministry of Railways and it has been decided that as a one-time measure, all those Licensed Porters, who have been appointed and joined as Gangman, or have been screened but not yet joined the post and who now want to revert back as Licensed Porters and want their badges back, may be allowed to revert back as Licensed Porters at the same place where they were working before subject to the condition that there is need for Licensed Porters at the same station. This shall be permissible as a one time measure and they should be given time of two months to exercise their option. In the case of Licensed Porters who have joined the post of Gangman, they are required to resign from railway service, subject to usual terms and conditions, before they are allowed to revert back as Licensed Porters.

Please acknowledge receipt.
(Hindi version will follow)

(K. Harikrishnan
Director Estt. (N)
Railway Board
....2/-



साथी की हुई मौत, मदद न मिलने पर काम किया बंद



साथी की मौत के बाद स्टेशन पर काम बंद कर खड़े कुली। संक

संवाद न्यूज एजेंसी

अंबाला शहरी के स्वाम चो बोंड उडाते-उडाते छावनी रेलवे स्टेशन पर कार्यकारी 39 वर्षीय कुली बचावी साल मोर्यो की हुदय गति रुकने से मौत हो गई। साथी कुली को मौत से बुझा लगान 150 कुलीयों ने रेलवे की तरफ से मदद न मिलने की घजह से रोप स्वरूप काम बंद कर दिया।

गुरुवार रात साथी कुलीयों ने एकमत से फैसला किया कि जब तक भूतक कुली को रेलवे को तरफ से मुआवजा या अधिक मदद नहीं मिलता, तब तक उसका क्रिया-कर्म नहीं किया जाएगा। इस दोषन न ही स्टेशन पर किसी यात्रा का सम्पन्न रहाया जाएगा।

कुलीयों के प्रश्न इन्होंने लाल ने बताया कि बिल्ला बंदर 102 बचावी तात मोर्या विछले लगान 10-12 सालों से छावनी रेलवे स्टेशन पर काम करते अपने परिवार को पेंट पसन रहा था। उसके तीन छह हजार रुपये हैं। इनकी उप लागत छह साल है।

तीन पट्टे खो देते से जारी हुई मीमो % ४४०० तुन्ही लाल ने यताया कि साथी

दुली का काम कर रहा था। राजस्थान नियासी, देन में समाप्त चढ़ाते समय हुई मौत

आज्ञा करवायांगे पोस्टमार्टम्

66 लेले की तरफ से शुक्रवार शाम की योगी मिली थी। साथी कुलीयों के बतान पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। बोलावार सुनह युक्त कुली का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। स्टेशन पर कानून व्यवस्था बनाने के दिन अलीगढ़ कर्मचारीयों को हैतात की गई है।

-पांचवां रिहाई, भ्राताते जोआरपे धाना, अबालव छावनी।

कुली की भूत के बाद अधिकारीयों से गुडार लगाई दिया पोस्टमार्टम् की कार्रवाई जल्द हो चाहे। ताकि मृतक के शव को यह राजस्थान भेजा जा सके।

मगर, कलाजी कार्रवाई में ही तीन पट्टे लाल गए। यामले की जानकारी जो रेल प्रवालक को ही गई, तब उसकी तरफ से योगी जारी खो गई। इसके बाद जीआरपे में शव कब्बी में लेकर आगमे कार्रवाई आरंभ की।



Ministry of Railways

Indian Railways announces Several Welfare Measures for Sahayaks/License Porters

Posted On: 07 MAR 2019 4:51PM by PIB Delhi


Sahayaks are the integral part of Indian Railways. They act as a link between Railways and the passengers being available round the clock for the convenience of the passengers. Presently approximately 20,000 Sahayaks are working over various railway stations of Indian Railways. With the advent of lifts and escalators on railway stations along with increased usage of luggage trolleys, the role of license porters has under gone change. In view of persistent demands from license porters and to make their working more comfortable, Indian Railways has taken several measures towards their welfare.

- **Uniform:** Presently, two red shirts are supplied every year as Uniform and one woollen shirt is also given once in two years in lieu of one red shirt. It has been decided to supply three red shirts and one woollen shirt every year..
- **Issue of passes:** At present, one set of complimentary cheque pass and one set of Privilege Ticket Order (PTO) for self and spouse is being given to Sahayaks. It has been decided to give two sets of Privilege Ticket Orders (PTOs) for self and wife every year.
- **Extension of validity of cheque pass:** Presently, the validity of the complimentary pass issued to Sahayaks is two month. It has been decided to extend the validity of the complimentary pass to five months at par with railway staff.
- **Rest room facilities:** Presently, Sahayak can utilize the facility of waiting halls, latrines, canteens etc provided at stations for passengers. Some stations have also been provided with Sahayaks Rest Rooms. Now it has been decided that Sahayaks Rest Rooms will be progressively provided at all stations having a strength of 60 and more Sahayaks. These Rest Rooms will be provided with TV, RO water and barrack beds.
- **Path ways:** Sahayaks are free to use railways' Light trolleys/Hand barrows for carriage of passenger luggage. It has been decided that the pathways shall be constructed at all major stations for smooth movement of trolley/Hand barrows.
- **Free Education for wards of Sahayaks:** Presently, free education facility is being provided to the wards of Sahayaks in the schools run by Railways' and Railwaymen's organization/Mahila Samitis. It has been decided to extend the facility to the schools run by Railways and Railwaymens' organization /Mahila samitis at any station in the division where the Sahayaks are working.

SVS/MKV/AP

मध्य रेल

CENTRAL RAILWAY



मुठ्य वाणिज्य प्रबंधक का कार्यालय
प. फि. ट. मुंबई - 400 001,
Office Of The
Chief Commercial Manager
Central Railway
C.S.T. Mumbai - 400 001

No - C/426/P/LP/Policy2018

Dt:- 6.11.2018.

Ex. Director, Passenger Marketing
Ministry of Railways, Railway Board.
New Delhi

Sub: Facilities for Licensed Porters (Sahayaks).
Ref: Board's letter No.2018/TGII/EDPM/Misc/I dated 15.10.18.

As per directives received from Railway Board from time to time the licensed porters are provided with the following facilities:-

1. As per Board's directives received vide letter No: 83/TG-II/1010/30/Policy dated 29/5/1984, the rates of porterage charges are fixed and are revised every alternate year during the month of June. On Central Railway the revision is done on the basis of variation in Consumer Price Index as indicated in the statistics of Labour of India.
2. The licensed porters are supplied with two red shirts every year. One tencot shirt is supplied once in two years in lieu of one red shirt.
3. Medical (outdoor) facilities are available to the licensed porters, their wives and children at the Railway hospitals and health units. In case the licensed porter gets grievously hurt in railway premises while carrying passengers luggage & needs indoor medical treatment, he is given free treatment in hospitals / dispensaries on certification by the concerned station masters.
4. The children of licensed porters are admitted in Railway schools wherever they exist, if seats are available after admitting the children & wards of railway employees.
5. As per the policy guideline received from Railway Board rest shelters have been provided to the licensed porters at important stations where number of licensed porters is substantial. Rest shelters have been provided with adequate facilities like fans, light, drinking water, toilets etc.
6. One set of Pass & PTO in II sleeper class every year for self and spouse for travel from station of working to any station in India and back is given to the licensed porter.
7. The licensed porter's badges are transferred to his son, or adopted son after his death or when he becomes old or sick. If he has no son or his son is not alive, the badge could be transferred to his near relative. Near relatives include brother, or brother's son or wife's brother.
8. As per Railway Board's letter No.2010/E (LLY)USW/I dt.27.01.11, Rashtriya Bima Yojana facility had to be extended to all Licensed Porters, vendors and Hawkers whose

records are maintained by Railways. None of the licensed porter on this Railway has opted for the scheme.

9. As per Board's letter No. TG/TGIV/6/SE/7 dated 30/7/97, the licensed porters are utilized only for carrying passenger's luggage.

Necessary facilities like toilets, fans, light, drinking water etc are provided in the Rest Rooms. In case of failure to any of these facilities, timely repairs in co-ordination with the department concerned are carried out.

The other important demands received are as under:-

1. Job in Railways.
2. Two free passes and PTOs for the family.
3. Medical facility as given for the Railway employees.
4. All facilities in the Coolies Rest Rooms as for Railway employees.
5. Inclusion of Licensed porters in the Railway Insurance scheme.
6. Admission of children of porters in the Railway Schools and free education.
7. Inclusion of aged licensed porters in the Railway Pension Scheme.

The Divisions have been advised to conduct regular inspections of Coolies rest rooms as part of SIG inspections of stations.

16/10/18
 (Jagdish Prasad)
 By CCM (PS)
 For PCCM

✓ SR.DCMB/JBSL/NGP/SURPA: Reference this office letter of even no dated 16.10.2018. The Divisions are advised to conduct regular inspections of Coolies rest rooms as a part of SIG inspections of stations.

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD**

File No.2020/TGII/1010/NHRC/04

New Delhi, dated 01.10.2021

Assistant Registrar (Law)
National Human Rights Commission
Manav Adhikar Bhawan, Block-C,
GPO Complex INA, New Delhi-23

**Sub: Pathetic condition of Sahayaks (Coolies/Porter) on Railway Stations - regarding
Ref: NHRC's case No.12/90/0/2020/OC dated 20.07.2020 addressed to The Chief Labour Commissioner, GOI**

The matter regarding providing certain benefits to Sahayaks (Coolies) working at Railway stations has been examined. At the outset, it is for your kind information that all Coolies, now named as 'Sahayaks' are only licensees who are granted license for carrying passenger's luggage. They have to pay license fee and are entitled to charge portage at prescribed rates directly from the passengers. Since Sahayaks are licensee who are granted licence for carrying passenger's luggage, they are not entitled to the facilities at par with railway employees. However, as a welfare measure, Sahayaks are provided with free medical facilities, free education to wards of shayaks, free passes for travel etc.

- i. Daily Minimum Wages: The provision of Minimum Wages is applicable to contract labourers on railway engaged in different activities. The rates prescribed under the Act by the Ministry of Labour & Employment are circulated to the Railways for strict compliance. Under section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 both Central and State Governments are the appropriate government to fix, review and revise minimum wages in the scheduled employment under their respective jurisdiction. The Act binds the employer to pay the minimum wages to the workers of unorganized sector.
- ii. Free Medical treatment at Railway hospital for the immediate family : Railway Board vide letter dated 09.03.2019 has extended medical facilities to Licensed Sahayaks and their family members at the Railway Hospitals/Health Units where Licensed Sahayak is presently working including for referral to other Railway Hospitals/Health Units. However, those Licensed Sahayaks who are registered with Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna are entitled for medical facilities in Railway Hospitals/Health Units under the said scheme.
- iii. &
- iv. Free Health & Accident Insurance coverage to the Coolie/Porter and their inclusion in the Social Security Schemes of the government of India: The Sahayaks (Coolies/Porters) are neither railway employees nor contract labourers. At present, therefore, Railway does not have any Insurance Scheme specially meant for Sahayaks. However, there is no bar for their enrolment under open schemes such as 'Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY)' & 'Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY)' as circulated vide Railway Board's letter No. 2018/E(LL)/RSBY/1 dated 03.08.2018 . Moreover, 'Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM)' enacted under 'Unorganized Workers' Social Security Act, 2008 (to provide social security to workers of unorganized sectors) has been circulated vide Board's letter No. 2019/E(LL)/SSA/1 dated 03.06.2019 to all General Managers of Zonal Railways.

- v. Free education to their children: Free education facility is available to the wards of Sahayaks (Licensed Porters) in the school run by Railways and Railwaymen's Organisations/Mahila Samitis.
- vi. Retirement benefit in the form of monthly pension on completing 60 years age: The Sahayaks (License porters) are neither railway employees nor contract labourers. At present, therefore, Railways does not have any Pension Scheme Specifically meant for Sahayaks. However, there is no bar for their enrolment under open pension scheme i.e. "Pradhan Mantri Shram Yogi Man-an-dhan (PM-SYM)".
- vii. Coolie/Porters who have completed 10 years of working on the railway platform should be made permanent." Pursuant to the announcement made by former Hon'ble Minister for Railways in his Budget Speech for the year 2008-09 in the Parliament, it was decided vide Board's letter dated 1.4.2008 that as a one-time measure, all those licensed porters who are up to the age of 50 years with minimum age of 18 years as on 26.2.2008, could be appointed to the posts of Gaagman subject to the fulfillment of the prescribed conditions. Even unwilling Licensed Porters who were absorbed as Gaagman and were reluctant to continue as such were given a chance to revert back vide Board's letter dated 25.9.2009. The above scheme was a one-time measure and stands settled in the year 2009. Further, Hon'ble Supreme Court in the case of Secretary, State of Karnataka vs Uma Devi & Ors (2006), has observed necessity for Rule of equality and fair selection in public employment, only after a proper competition among qualified persons. Therefore, Indian Railways conduct recruitment in Level-I regularly in an open selection providing equal opportunity to all qualified applicants seeking employment in the organization.

11/10/21
 Neeraj Sharma
 Executive Director Passenger Marketing
 Railway Board

Copy to:

- (1) Dy. Chief Labour Commissioner, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi 110001.
 ✓ (2) Dr. Yogesh Dube, Dhartiya Vilas Sansthan, Ghanshyam Dube Tower, M.G. Road Borivali (East) Mumbai-400066

~~CONFIDENTIAL~~

NO.COM/HB-17/47/DCC/POL/PT.IV

HWH, dated, the 4th June/2022

SM(GAZ)/ER/HWH, Sr.SMR(Gaz)/SER/HWH
All SMs, BSs, CSs, BCIs of HWH Divn.

SLS/HWH,

Sectional TIC/HWH-1, HWH-II, SHE, BDC, BWN, RPH, AZ

Copy to AEN/HWH, BDC, BWN, RPH, AZ. He will please issue instruction to IOW concerned to change to portage rates of License Porter on the display board immediately with consultation with the SM/SS to avoid public complaint.

Copy to Sr.DEN/I, Sr.DEN/II, Sr.DEN/IV/HWH. He will please advised their AENs and IOWs concerned accordingly.

Copy to CMM/ERLY/KKK for kind information.

Copy to PCCM/ER/KKK for information in reference to his letter no.C.298/5/ VOL-VI /DEV/2 dt.27.05.2022.

Sub: Revision of -(1) Portage charge (2) Trolley Charges & (3) Wheel Chair Charge.

Ref: PCCM/ER/KKK's letter no.C.298/5/Vol.VI/Dev/2 dt.27.05.2022

As informed by PCCM/E.Rly/KKK vide his letter under reference the portage charges for stations over Howrah Division is to be revised as under which will be implemented immediately on receipt of the circular.

PORTEAGE CHARGE

Previous Category of station	Present Category of Station	Rates (Rs.)
A-1 Category Station	NSG-1	85/- per 40 head load
A- Category Station	NSG-2	65/- per 40 head load
B- Category Station	NSG-3	65/- per 40 head load
	NSG-4	65/- per 40 head load
C- Category Station & other Category of stn.	NSG-5 & & other catg.of stn.	50/- per 40 head load

Trolley Charge

When passengers' luggage is carried by Licensed Porters in Trolley whenever permissible. :2 times of normal portage charge

Wheel Chair Charge

Wheel Chair Charge in case passenger requires assistance of licensed porter to be carried by Wheel Chair. :2- times of normal portage charges

Please arrange to have the revised rate displayed on the Display Boards immediately by the IOWs concerned for information of the travelling public and ensure that the travelling public are not subjected to harassment by the License porters /Sahayaks in any way. You should announce the enhance rates at least 10 days before through PA System.

Mahan 6/6/2022
for Sr. Divl. Comml. Manager

Distribution

ADRM/HWH

Sr.DCM/HWH, DCM/HWH, ACM/I, ACM/HG, Sr.LO/HWH

D:\OLD DATA\U.GLP. Sec..doc